न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी - सुश्री प्रियंका तलानिया आर.ए.एस.

अनवान -

1. सुखदेव सिंह पुत्र श्री गुरबक्श सिंह जाति जटसिख उम्र वर्ष निवासी रेडबग्गी (48 जी.बी.''ए'') तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)

बनाम-

.....प्रार्थी.....

1. गुरनाम सिंह पुत्र श्री बचन सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 48 जी.बी.(ए) तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)
2. बक्शीश सिंह पुत्र श्री बचन सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 48 जी.बी.(ए) तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)
3. चरण सिंह पुत्र श्री बचन सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 48 जी.बी.(ए) तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्री विजयनगर।
5. उप पंजीयक श्री विजयनगर।

.....अप्रार्थीगण.....

उपस्थिति - 1. श्री सुखदेव सिंह बुट्टर वकील प्रार्थी
2. श्री ओम धायल वकील अप्रार्थीगण
2. पैराकार राज तहसीलदार श्री विजयनगर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम)

प्रकरण संख्या - 115/2017 **निर्णय दिनांक -15/07/2019**

प्रकरण में तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :-

प्रार्थी के द्वारा उपरोक्त अनवान का एक वाद पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया है। उपरोक्त वाद पत्र के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. प्रस्तुत किया जाकर निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के नाम से संयुक्त खाता में चक 3 आर.बी.एम. तहसील श्री विजयनगर का प.नं. 228/435 मु.नं. 28 का किला नं. 1/2 ता 25 का 6.199 हैक्टर कमाण्ड भूमि मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उपरोक्त वर्णित मुश्तरका खाता की भूमि में प्रार्थी के नाम से 0.759 है. व अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से 2.480 है., अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से 2.480 है. व अप्रार्थी संख्या 3 के नाम से 0.480 है. भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जो कि प्रार्थी द्वारा वर्ष 2003 में जरिये बैयनामा खरीद की गई थी। जो कि पूर्व दर्ज खातेदार मुझ प्रार्थी के विक्रेता का उसके सहखातेदारान से घरू विभाजन सहमति से प्राप्त किलाजात किला नं. 14-15-16 सालम-सालम उसके कब्जा काश्त अनुसार ही किले वाईज बैयनामा प्रार्थी को किया जाकर कब्जा भूमि उक्त किला वाईज ही प्रार्थी को सौंपा गया। जिस पर प्रार्थी मालिक काबिज होने के पश्चात् प्रार्थी व अप्रार्थीगण 1 ता 3 द्वारा आपसी सहमति से रास्ता आवागमन आदि की सुविधा को देखते हुए प्रार्थी को किला नं. 14-15 सालम-सालम व 16 में 0.214 है. व किला

लगातार.....2

उप खण्ड अधिकारी
विजयनगर

Scanned by CamScanner

नं. 11, 12, 13 प्रत्येक में 0.013 है. (किला नं. 8, 9, 10 के चिपती) भूमि कुल 0.759 है. हिस्सा अनुसार दी जाकर किला नं. 16 की शेष व अन्य भूमि अप्रार्थीगण के हिस्सा में आई जिस पर प्रार्थी का अप्रार्थीगण सहखातेदारान की सहमति व ज्ञान से शान्ति पूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को समय समय पर उक्त मुश्तरका खाता की भूमि को घरू सहमति बंटवारा कब्जा काश्त अनुसार किला वाईज पृथक-पृथक विधिक विभाजन से प्रार्थी के नाम दर्ज करवाने का कहा जाता रहा तो शुरू में आश्वासन देकर टाल मटोल करते रहे कि कभी राजस्व कैम्प आदि में बंटवारा करवाकर किला वाईज अंकन करवा लेगे। हम सभी आपसी सहमति से अपने अपने हिस्सा अनुसार घरू विभाजन किला वाईज काबिज काश्त है। आपको किसी प्रकार असुविधा या घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिस पर प्रार्थी सद्‌भावी रहा परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा विधिक विभाजन करवाने में प्रार्थी का कतई सहयोग नहीं किया जिस पर प्रार्थी द्वारा दिनांक 20/12/2017 को रोबरू गवाहान गांव में अप्रार्थीगण से मिलकर रकबा किला वाईज विभाजन कर प्रार्थी के नाम कब्जा काश्त उक्त किला अनुसार अंकन करवाने का कहा तो वे इन्कार हो गये। यही विनाए वाद कारण व विनाए प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी ने उक्त वाद पत्र के पैरा संख्या 3 में वर्णित किला वाईज रकबा को जरिये बैयनामा मालिक काबिज होने से अपना मानते हुए उस पर अथाह धन व परिश्रम खर्च किया है तथा अनेक सुविधाए स्थापित की है। जिसके कारण उक्त भूमि की पैदावार व किस्म में काफी सुधार आ जाने से अब प्रार्थी के कब्जा काश्त की भूमि काफी उपजाऊ हो गई है व किला नं. 11, 12, 13 प्रत्येक का 0.013 है. भूमि अपने हिस्सा की दर्ज कब्जा काश्त भूमि को प्रार्थी अपने शेष किला जात किला नं. 14, 15 सालम-सालम व 16 के 0.214 है. रकबा काश्त आवागमन हेतु उपयोग कर कृषि औजार, यन्त्र आदि उपयोग करता है क्योकि इसी मुरब्बा के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 में पूर्व से स्वीकृत शुदा सरकारी चालू रास्ता है अन्यथा प्रार्थी को अपने रकबा में आने-जाने के लिए अन्य कोई सुविधाजनक सुगम रास्ता भी नहीं है। जो कि प्रार्थी को उक्त वर्णित किला वाईज व शेष रकबा अप्रार्थीगण के नाम विधिक विभाजन अंकन होने से किसी भी सहखातेदार को कोई क्षति व नुकसान नहीं है तथा किस्म वाईज भी भूमि सभी सह खातेदारान को एक समान प्राप्त हो सकेगी। इसलिए प्रार्थी भू-अभिधारी सहखातेदार होने से प्राकृतिक व नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्तों के अनुसार रास्ता, खाला आदि सुविधाओं को प्राप्त करने व उसी अनुसार किला वाईज विधिक विभाजन से रकबा अंकन करवाने का हकदार है। भूमि मुश्तरका खाता में दर्ज है जिसके कारण सरकारी योजनाओ का लाभ प्राप्त करने व अन्य राजस्व सम्बन्धी कार्य, लगान आदि अदा करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है व फसल बिजाई-कढाई, बेचान, गिरदावरी आदि औपचारिकताओं के दौरान भी असुविधा व परेशानी बनी रहती है। प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि का सहखातेदार एवं मालिक काबिज है इसलिए अनवानी वाद के जरिये प्रार्थी उक्त मुश्तरका भूमि के सहमति बंटवारा से प्राप्त किलाजात किला नं. 14-15 सालम-सालम व 16 में 0.214 है., किला नं. 11, 12, 13 प्रत्येक में 0.013 है. (किला नं. 8, 9, 10 के चिपती) भूमि का स्वयं को खातेदार टीनेन्ट घोषित करवाने व मुताबिक डिक्री अपने नाम से राजस्व रिकॉर्ड में विधिक विभाजन अनुसार इन्द्राज करवाने का विधिक अधिकारी है। जिसका विभाजन घोषणा वाद प्रार्थी

लगातार.........3

उप जिला कलेक्टर
श्रीविजयनगर

Scanned by CamScanner

द्वारा पेश किया गया है। परन्तु यदि वाद विचारण दौरान अप्रार्थीगण द्वारा संयुक्त मुश्तरका खाता में दर्ज भूमि में किसी प्रकार दखल अंदाजी व मदाखलत की जाती है तो प्रार्थी के विधिक अधिकारों का हनन होगा। व हित प्रभावित होंगे। इसलिए प्रार्थी अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का भी विधिक अधिकारी है। प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि आजीविका का एकमात्र जरिया है। जिसे अथाह धन व मेहनत खर्च कर प्रार्थी द्वारा उक्त विशिष्ट किस्मजात को काबिल काश्त व उपजाऊ बनाया है। यदि अप्रार्थीगण द्वारा बिना विधिक विभाजन हुए उक्त भूमि को मुश्तरका ही किसी अन्य को रहन विक्रय कर दिया जाता है तो तीसरे पक्ष के हित सृजित हो जाएंगे और जटिलता बढ़ेगी व अनावश्यक मुकदमा बाजी बढ़ेगी। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति तीनों महत्वपूर्ण बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वाद पत्र के अन्तिम निस्तारण तक विवादित कृषि भूमि चक 3 आर.बी.एम. का प.नं. 228/435 मु.नं. 28 का किला नं. 1/2 ता 25 का 6.199 हैक्टर कमाण्ड भूमि मुश्तरका खाता में किसी प्रकार कोई विशिष्ट हिस्सा स्वयं या अन्य के माध्यम से अन्य व्यक्ति को रहन, विक्रय या अन्य प्रकार से अन्तरित करने अथवा प्रार्थी की कब्जा काश्त की भूमि में किसी प्रकार की मदाखलत बेजा करने व किसी सुविधा को हटाने या बाधित करने से बाज व ममनू रहे तथा मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 द्वारा स्वयं उपस्थित होकर ने अपना जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि हम अप्रार्थीगण के द्वारा जरिये वैयनामा पूर्व खातेदार तोता सिंह पुत्र चनण सिंह से खरीद की हुई है। एवं प्रार्थी के द्वारा भी भूमि को खरीद किया हुआ है एवं पूर्व खातेदार के द्वारा प्रार्थी को किला नं. 14, 15, 16 का रकबा बैचान किया गया था व अप्रार्थीगण को उपरोक्त भूमि बैचान करने के समय ही तोता सिंह के द्वारा हम अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 को किला नं. 11 का 18 बिस्वा कमाण्ड, व किला नं. 12, 13, 18, 19 का 4 बीघा कमाण्ड व किला नं. 20 का 18 बिस्वा कमाण्ड का बेचान किया गया था एवं इसी अनुसार रकबा कब्जा काश्त में आया जिसका विवरण पूर्व खातेदार के द्वारा करवाये गये वैयनामा में भी अंकित है व इसी अनुसार ही खरीद रोज से निरन्तर अप्रार्थीगण उक्त रकबा पर काविज होकर काश्त शान्ति पूर्वक निर्बाध करते आ रहे है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य किसी प्रकार का बंटवारा या तबादला किसी भूमि बाबत नहीं हुआ है। समस्त तथ्य मनगढ़त झूठे दर्ज किये गये है। प्रार्थी के कब्जा काश्त में किला नं. 14 ता 16 का 0.759 है. भूमि ही है। हम अप्रार्थीगण के द्वारा कभी भी कब्जा काश्त के अनुसार चले आ रहे रकबा का अमलदरामद रिकॉर्ड में करवाने से इन्कार नहीं किया गया है। बल्कि स्वयं प्रार्थी के द्वारा लालचवंश व बदयान्ति पूर्वक हम अप्रार्थीगण की सुधरी हुई भूमि पर नाजायज कब्जा करने की नियत से वैयनामा में प्राप्त व निरन्तर कब्जा में चले आ रहे रकबा का अमलदरामद राजस्व रिकॉर्ड में करवाने में सहयोग नहीं किया है। व गलत तथ्यों पर अनवानी प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया है व गलत तथ्यों पर अनवानी प्रार्थना पत्र माननीय

लगातार.....4

उप जिला कलेक्टर
श्री विजयनगर

न्यायालय में पेश किया गया है जबकि प्रार्थी को किसी प्रकार का कोई वाद कारण हम अप्रार्थीगण के खिलाफ प्राप्त नहीं है। प्रार्थी प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 3 का रकबा स्वयं को जरिये बैयनामा प्राप्त होना बता रहा है जबकि उसके पक्ष में करवाया हुआ बैयनामा किला नं. 14 ता 16 का 0.759 है. का है व प्रार्थी प्रार्थना पत्र में स्वयं को किला नं. 11 ता 13 प्रत्येक का 0.013 है., किला नं. 14, 15 सालम व किला नं. 16 का 0.214 है. का खातेदार बता रहा है। प्रार्थी के स्वयं के कथनों में ही विरोधाभाष है। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी माननीय न्यायालय के सक्षम झूठ बोल रहा है। प्रार्थी के द्वारा उक्त पेरा मे दर्ज तथ्यों से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी विधि विपरीत तरीकों से हम अप्रार्थीगण की भूमि से रास्ता प्राप्त करना चाहता है जबकि प्रार्थी को रास्ता स्वीकृति हेतु पृथक से विधिक चाराजोही करनी चाहिए जिसके लिए प्रार्थी स्वतन्त्र है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। प्रार्थी को कोई हानि नहीं है बल्कि प्रार्थी हम अप्रार्थीगण के कब्जा काश्त की भूमि पर जबरन काबिज होना चाहता है यदि ऐसा करने में प्रार्थी सफल हो जाता है तो हम अप्रार्थीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा एवं काश्त में भारी असुविधा होगी। प्रार्थी वर्णित रकबा का स्वयं को खातेदार टेनेन्ट घोषित करवाने का किसी प्रकार अधिकारी नहीं है चूंकि उपरोक्त रकबा न तो उसके कब्जा काश्त में और ना ही पूर्व खातेदार के द्वारा उसे इस अनुसार रकबा का बेचान कियागया है। जिसमें किला नं. 14 ता 16 का रकबा प्राथी को दिया गया है एवं प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र की आड में अप्रार्थीगण के रकबा पर जबरन काबिज होना व रास्ता बनाना चाहता है इसलिए प्रार्थी किसी प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। यदि प्रार्थी इसमें कामयाब हो जाता है तो अप्रार्थीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा व काश्त में भारी असुविधा होगी इसलिए प्रथम दृष्टया प्रकरण भी हम अप्रार्थीगण के पक्ष में है। हम अप्रार्थीगण प्रार्थी के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है कि वह अप्रार्थीगण के कब्जा काश्त की भूमि में किसी प्रकार की मदाखलत पैदा करने से बाज व ममनू रहे। अपूर्णीय क्षति, सुविधा का सन्तुलन, प्रथम दृष्टया प्रकरण तीनो ही महत्वपूर्ण बिन्दू हम अप्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र में रास्ता की मांग की गई है जो कि रास्ता बाबत कार्यवाही अ.धा. 251(ए) आर.टी.ए. में की जा सकती है जो अनवानी प्रार्थना पत्र में पोषणीय नहीं होने से अनवानी प्रार्थना पत्र काबिले खारिज के है। प्रार्थी के द्वारा प्रार्था पत्र विभाजन बाबत पेश किया गया है एवं भूमि पूर्व खातेदार से खरीद करने पर किला वाईज कब्जा में आने का कथन भी कर रहा है किन्तु प्रार्थी के द्वारा पूर्व खातेदार का प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है इसलिए प्रार्थना पत्र मिसजोईडर ऑफ पार्टिज से ग्रसित होने के कारण से प्रथम दृष्टया की काबिले खारिजी के है। आदि कथन करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो एवं कानूनी प्रावधानों पर मनन किया गया और वकील उभय पक्ष की बहस सुनी और निष्कर्ष रूप में यह पाया कि विवादित भूमि चक 3 आर.बी.एम. तहसील श्री विजयनगर का प.नं. 228/435 मु.नं. 28 का किला नं. 1/2 ता 25 का 6.199 हैक्टर कमाण्ड भूमि मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है परन्तु पूर्व खातेदार ने बैयनामा के समय प्रार्थी को किला विशेष 14, 15, 16 विक्रय करना बैयनामा में वर्णित किया है। प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के

लगातार.....5

उप जिला कलेक्टर
श्री विजयनगर

Scanned by CamScanner

पक्ष में है। जबकि वर्तमान में भूमि मुश्तरका खाता में दर्ज रिकॉर्ड है। यदि अप्रार्थी बेचान कर देती है तो अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को होगी। इसलिए प्रार्थी को न पूरा होने वाला नुकसान होगा। अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में है। पूरे खाते में अस्थाई निषेधाज्ञा होने से अप्रार्थीगण आवश्यक सुविधाएं भी प्राप्त नहीं कर पायेगे। सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित रकबा चक 3 आर.बी.एम. का प.नं. 228/435 मु.नं. 28 किला नं. 1/2 ता 25 का 6.198 है. भूमि में से प्रार्थी के हिस्से तक रिकॉर्ड की यथास्थिति वाद पत्र के अन्तिम निस्तारण तक बनाए रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 15/07/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका तलानिया)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Scanned by CamScanner